



वदिशी योगदान (वनिधिमन) अधनियिम

प्रीलमिस के लयि - FCRA के दशिया-नरिदेश

मेन्स के लयि - वदिशी फंडस का दुरुपयोग रोकने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गैर सरकारी संगठनों और शक्तिषण संस्थानों का एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA) के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया है।

प्रमुख बदि-

- 1800 से अधिक गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान जो कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं, उनके वदिशी धन प्राप्त करने पर प्रतबिंध लगा दिया गया है।
- FCRA के तहत जनि संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें राजस्थान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद कृषि संस्थान, यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, तमलिनाडु (Young Mens Christian Association-YMCA) और स्वामी विविकानंद एजुकेशनल सोसाइटी, कर्नाटक भी शामिल हैं।
- मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण रद्द करने का प्रमुख कारण संस्थाओं द्वारा FCRA कानून का उल्लंघन करना है।
- FCRA के दशिया नरिदेशों के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं को वत्तीय वर्ष के पूरा होने के 9 महीने के भीतर आय और व्यय का वविरण, प्राप्त और भुगतान खाते, बही खाते इत्यादिकी स्कैन प्रतियों के साथ एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है।
- जनि पंजीकृत संगठनों को जसि वर्ष वदिशी योगदान नहीं मलिता, उन्हें भी उक्त अवर्धा के तहत उस वत्त वर्ष के लयि नलि रटिर्न (Nil Return) भरना होता है।

वदिशी योगदान (Foreign contribution)

व्यक्तगित उपयोग के लयि मलि उपहार के अलावा वदिशी स्रोत से मलि वस्तुएं, मुद्रा और प्रतभूतयिँ वदिशी योगदान के अंतरगत आती हैं।

वदिशी योगदान (वनिधिमन) अधनियिम (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA)

- भारत सरकार ने वदिशी योगदान की स्वीकृति और वनिधिमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में वदिशी अंशदान (वनिधिमन) अधनियिम (FCRA) लागू किया।
- वर्ष 2010 में इस अधनियिम को प्रमुखता से संशोधति किया गया। एफसीआरए, 1976 के प्रावधानों को आमतौर पर बरकरार रखते हुए इसमें कई नए प्रावधान भी जोड़े गये।
- इसके तहत राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन, ऑडियो, ऑडियो वजिअल न्यूज या करंट अफेयर्स कार्यक्रम के नरिमाण और प्रसारण में लगे कसि भी संगठन को वदिशी योगदान स्वीकार करने के लयि प्रतबिंधति किया गया है।
- FCRA, 2010 के तहत दिया गया प्रमाण-पत्र पाँच साल तक के लयि वैध होगा तथा पूर्व अनुमति, वशिष कार्य या वदिशी योगदान जसिके लयि अनुमति दी गई है, उस वशिष राशिकी प्राप्त के लयि वैध होगा।
- नए प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्त जो FCRA के प्रावधानों के अनुसार वदिशी योगदान प्राप्त करता है, उस राशिको तब तक हस्तांतरति नहीं कर सकता जब तक कि वह व्यक्त भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वदिशी योगदान प्राप्त करने के लयि अधिकृत न हो।
- FCRA के तहत पंजीकृत होने के लयि एक गैर सरकारी संगठन को पूर्व में कम से कम तीन वर्षों के तक सक्रिय होना चाहयि। इसके अलावा इसकी गतिविधियों पर इसके आवेदन की तारीख से पूर्व के तीन वर्षों में 1,000,000 रुपए तक खर्च कयि गए हों।
- नए प्रावधानों के तहत एक वत्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक या उसके समकक्ष वदिशी योगदान की प्राप्त होने पर आँकड़ों को तथा उस साल के साथ-साथ अगले वर्ष के वदिशी योगदान के प्रयोग को भी सार्वजनिक करना होगा।

